न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—218/2024

प्रार्थीः—

ओमप्रकाश पुत्र भोपसिंह जाति पुरोहित निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 10.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 135, 136, 421, 422 व 423 रकबा 0.2105, 13.0147, 5.4956, 1.5540 4.3220 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विवादित भूमि मे पुश्तैनी भूमि है जो प्रार्थी के पिता ''भोपा पुत्र नरसा'' के नाम पर दर्ज थी, प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात फौतदगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम भोपा के स्थान पर भोमा दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम भोपा पुत्र नरसा है उक्त फौतदगी में वारिसान का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश के स्थान पर मादा लिख दिया गया जो आदिनांक तक निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''ओमप्रकाश पुत्र भोपसिंह ''दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''मादाराम पुत्र भोमा'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्व नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर ज[illegible] विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/[illegible] दिनाक 10.09.25 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी के आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व परिवार राशनकार्ड, की प्रति पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय के बयान कलमबद्ध करवाया गया व ग्राम पंचायत महिलावास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''ओमप्रकाश पुत्र भोपसिंह '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 135, 136, 421, 422 व 423 रकबा 0.2105, 13.0147, 5.4956, 1.5540 4.3220 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में प्रार्थी के पिता भोपसिंह का फौतदगी का नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम ''मादा पुत्र भोमा'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता. की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत महिलावास द्वारा जारी प्रमाण पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''ओमप्रकाश पुत्र भोपसिंह '' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''मादाराम पुत्र भोमा'' नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 135, 136, 421, 422 व 423 रकबा 0.2105, 13.0147, 5.4956, 1.5540 4.3220 हैक्टेयर भूमि ग्राम महिलावास तहसील सिवाना में के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम '' मादाराम पुत्र भोमा ' के स्थान पर ''ओमप्रकाश उर्फ मादाराम पुत्र भोपसिंह उर्फ भोमा'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। ही तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.28 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested